



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25102023-249682
CG-DL-E-25102023-249682

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4466]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 25, 2023/कार्तिक 3, 1945

No. 4466]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 25, 2023/KARTIKA 3, 1945

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2023

का.आ. 4645(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) नौवां संशोधन आदेश, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 की अनुसूची 1 के, भाग क, "उर्वरकों के विनिर्देश" में, उप-शीर्षक 1(क) "ऋजु नाइट्रोजनी उर्वरक" में, क्रम संख्यांक 10 में, प्रविष्टि (v) में, "2" अंक के स्थान पर "1.5" अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 1-14/2023 उर्वरक विधि]

योगिता राना, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 758(अ), तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित की गई थी और संख्याक का.आ. 4251(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Agriculture, and Farmers Welfare)****ORDER**

New Delhi, the 25th October, 2023

S.O. 4645(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely: --

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) (Ninth Amendment) Order, 2023.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Fertilizer (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, in Schedule I , in Part A “ SPECIFICATIONS OF FERTILISERS”, in sub-heading 1 (a), STRAIGHT NITROGENEOUS FERTILISERS, in serial number 10, in entry (v), “ for the figure “2” the figure “ 1.5” shall be substituted.

[F. No. 1-14/2023 Fert Law]

YOGITA RANA, Jt. Secy.

Note:- The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 758(E) dated 25th September, 1985 and was last amended *vide* number S.O. 4251 (E) dated 27th September, 2023.